Reservation Policy

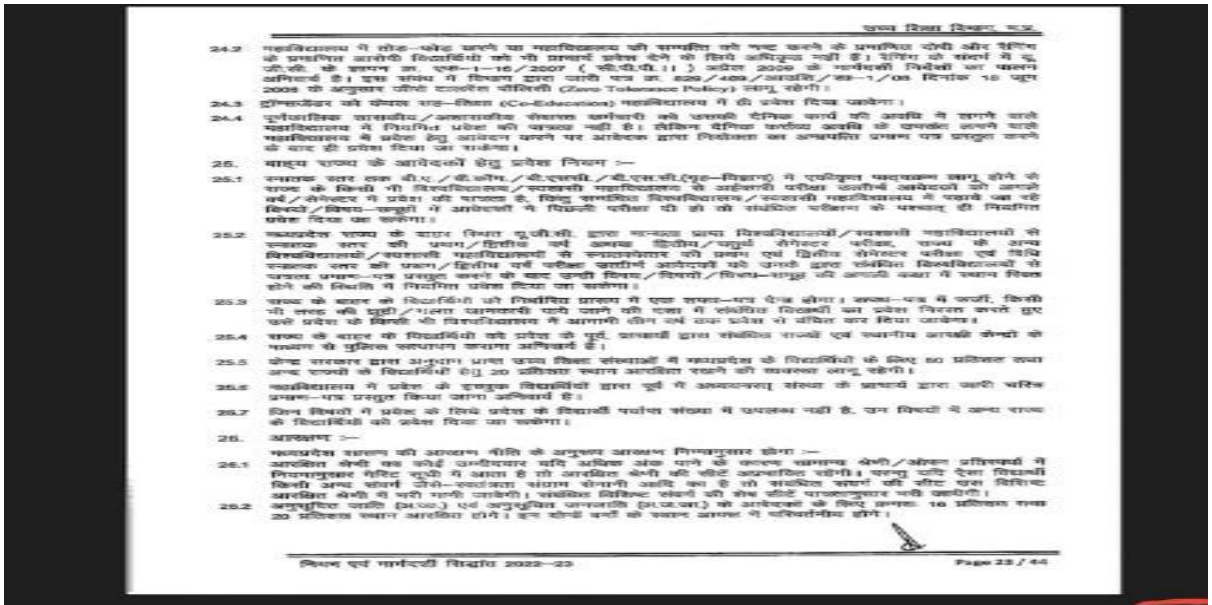

24.2 महाविद्यालय में सीट–प्रवेश प्राप्त या महाविद्यालय की सम्बद्धित की स्पष्ट करने के प्रयोजित योनी और पैरिंग को प्रयोजित आयोगी विद्यार्थियों को भी प्रायमरी प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रेगिंग को संदर्भ में यू.जी.सी. के क्रमांक क्र. एफ–1–16/2007 (सी.पी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में शिक्षण द्वारा जारी पत्र क्र. 829/409/आयोग/क्र–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

24.3 ट्रांसजेंडर को सेमाज गड–शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जायेगा।

24.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को पदस्थापित पैरिक कार्य की अवधि में सम्पन्न करने महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। सेवारत पैरिक कर्मचारी अवधि के उपरांत अपने महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निवासता का अभ्यर्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

25. माध्यम राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :–

25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह–विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बद्धित विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय–समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो जो संबंधित परिक्रम के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवास रू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/शासकीय महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं द्वितीय स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उनकी नियम/नियमों/नियम–समूह की अपनी कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में पूरा सम्पर्क–पत्र पेश होगा। सम्पर्क–पत्र में जाति, किसी भी स्तर की छूटों/सहायता आवश्यकता पाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी सीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश की पूर्व, प्रायमरी द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आयुक्त केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त राज्य शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

25.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रवेश की विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

26. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुपालन आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/अनारक्षित प्रतिभाओं में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अपरिवर्तित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य कमजोर श्रेणी–सामाजिक संस्थान योग्यता आदि का है तो संबंधित कमजोर की सीट पर विशिष्ट आरक्षित श्रेणी से भरी जानी चाहिये। संबंधित विशिष्ट कमजोर की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

26.2 अनुसूचित जाति (अ.ज.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन श्रेणी वर्गों को स्थान आरक्षण में परिवर्तनीय होंगे।

26.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) की आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश शासन क्रमांक 249 पीएमएस दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संविधान क्रमांक 1248।–227–इकतीस–अ (ग।) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय की 9901/2019 के अंतरिम मानदंडों द्वारा प्रदत्त निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

26.4 स्थानीय संस्था योग्यताओं की पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/भतीजों/भतीजियों, भारतीय सेना में कार्यरत को दीवान योग्यताओं को प्राप्त अंकों क्रमांक क्रम से निःशुल्क छूट सीमाओं के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व राज्य सशस्त्र सेना को सर्वीसेज (Defence personnel) के अधिकारी/सैनिकों अर्ध सुरक्षित बलों के कर्मचारी के लिए राज्य इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इसमें सामान्य दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकों को 10 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त वेटेज, तीन वर्षों का सम्बन्धित पुनर्वास–नि निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों के ही पालन अपना जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना को वर्गों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा–

1. युद्ध के दौरान वीरगति को विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. सर्वोच्च के दौरान सेवा–काल में वीरगति को आश्रित।
4. सर्वोच्च के दौरान सेवा–काल में स्थायी रूप से निःशक्तजन रूप उनके आश्रित।
5. शिक्षा संबंधी पात्रता के सम्बन्धित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्तिचक्र युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वायरल सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, वीरता, सैनिक/वायु सेना मेडल धारी में उपलब्ध।
6. राष्ट्रपति का दीक्षा हेतु पुलिस मेडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

26.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित वर्गों के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों को प्रदेश के समस्त आईआईटी कॉलों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) परीक्षण के समय अभ्यर्थक करने पर इस श्रेणी का लाभ दिया जा सकेगा।

26.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS– Economically Weaker Section) :– आर्थिक रूप से कमजोर मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का स्थान मध्यम प्रदेशन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.उ./एक, भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2019 एवं उच्चतम शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आयोग/सा.–5'ब'/2019 भोपाल दिनांक 18 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

26.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र धारियों आवेदकों के लिए मध्यप्रदेशस्तर स्तर पर महाविद्यालय में संयुक्त स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

26.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

26.9 मध्यप्रदेश शासन, प्रथम शिक्षा विभाग सभी उपायों अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, अनुदान कार्यालय प्रथम शिक्षा में नियमित कर्मचारी/पीआरयूएस/दिव्यांग, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों, अंशकालीन अधिकारियों, एनिमेटरों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सुरक्षित एवं अनुसूचित श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों को लिए सभी सम्बन्धित संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

26.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।